झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

एफ0 ए0 (डी0बी0) संख्या–28 / 2016

शैलेश धर दुबे उर्फ मंटू दुबे .... याचिकाकर्त्ता / अपीलकर्त्ता

बनाम्

किरण देवी .... विपक्षी पार्टी / प्रतिवादी

अपीलार्थी के लिए : श्री शैलेंद्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए : .....

05 / 09.01.2017 ग्रहण (एडमिशन) मामले में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलकर्त्ता एम0 एम0 वाद संख्या–107 / 2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 21.01.2016 के निर्णय और डिक्री से व्यथित हैं, जिसके तहत पक्षकारों के बीच तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए अपीलकर्त्ता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (बी) के साथ पढ़ी गई धारा 13 के तहत, दायर मुकदमा निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. आक्षेपित निर्णय से पता चलता है कि पार्टियों के बीच विवाह वर्ष 2012 में हुआ था। याचिकाकर्त्ता के मामले के अनुसार, प्रतिवादी–पत्नी की शारीरिक अक्षमता के कारण विवाह का उपभोग नहीं किया जा सकता था। यह कहा गया था कि प्रतिवादी एक भी बच्चे को पैदा करने या याचिकाकर्त्ता के साथ यौन संबंध स्थापित करने में असमर्थ थी। यह भी प्रतीत होता है कि मानसिक विकार का आधार भी याचिकाकर्त्ता द्वारा निचली अदालत में लिया गया था।

4. नोटिस पर, प्रतिवादी–पत्नी उपस्थित हुई और उसने याचिकाकर्त्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया। प्रतिवादी के मामले के अनुसार, शादी के बाद, वह हमेशा याचिकाकर्त्ता के साथ रहने और वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार है। प्रतिवादी का मामला यह है कि उसे दहेज की मांग के लिए क्रूरता और यातना दी जा रही थी और उसे वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया था।

5. पक्षकारों की दलीलों के आधार पर, वाद–पदों (इशुज) का गठन किया गया था, जिसमें मुद्दा सं0 (iii) यह था कि क्या प्रतिवादी याचिकाकर्त्ता के साथ यौन संबंध बनाने और बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, जिसे तलाक के लिए आधार के रूप में माना जा सकता है। मुद्दा सं0 (iv) यह था कि क्या योनि शून्यता तलाक के लिए डिक्री देने का आधार है और एक अन्य मुद्दे को भी मुद्दा सं0 (v) के रूप में फिर से पुनर्गठित किया गया था, अर्थात् यौन संबंध स्थापित करने और बच्चे को जन्म देने के लिए प्रतिवादी की अक्षमता के आधार पर और मानसिक अस्वस्थता के कारण, क्या याचिकाकर्त्ता प्रतिवादी के साथ अपनी शादी को विधि शून्य करने की घोषणा के लिए डिक्री पाने का हकदार है ?

6. आक्षेपित निर्णय से पता चलता है कि याचिकाकर्त्ता की ओर से चार गवाहों का परीक्षण किया गया था और प्रतिवादी की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण किया गया था। याचिकाकर्त्ता की ओर से परीक्षित गवाहों, खुद याचिकाकर्त्ता सहित, शादी का उपभोग करने के लिए प्रतिवादी की शारीरिक अक्षमता के बारे में कहा और वे यह कहने की सीमा तक चले गए कि वह पारलैंगिक (ट्रांस

सेक्सुअल) थी। हालांकि कोई मेडिकल दस्तावेज साबित नहीं हुआ। पहचान के लिए केवल कुछ फोटोकॉपी 'एक्स' चिन्हित की गई थी, लेकिन याचिकाकर्त्ता द्वारा अपने मामले के समर्थन में कोई भी दस्तावेज इस आशय का साबित नहीं किया जा सका है कि प्रतिवादी या तो विवाह के उपभोग के लिए शारीरक रूप से अक्षम थी या वह मानसिक रूप से बीमार थी। प्रतिवादी की कथित बीमारियों को साबित करने के लिए निचली अदालत में याचिकाकर्त्ता द्वारा किसी भी चिकित्सक का परीक्षण नहीं करायी गई थी। निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर सबूतों का विश्लेषण करते हुए याचिकाकर्त्ता के खिलाफ सभी उपरोक्त मुद्दों पर फैसला दिया और याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर मुकदमें को खारिज कर दिया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री बिल्कुल गैर कानूनी है और अपास्त होने लायक है और यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें पार्टियों के बीच विवाह को तलाक के डिक्री के माध्यम से भंग कर दिया जाना चाहिए उन आधार पर जो अपीलकर्त्ता ने निचली अदालत में साबित किया था।

8. अपीलकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के अभिलेख के अवलोकन के बाद, हम पाते हैं कि दोनों आधार, जिस पर अपीलकर्त्ता ने निचली अदालत में तलाक की डिक्री मांगी थी, चिकित्सा आधार से संबंधित थे, लेकिन कोई मेडिकल दस्तावेज याचिकाकर्त्ता द्वारा निचली अदालत में साबित नहीं किया जा सका है और ना ही याचिकाकर्त्ता ने किसी भी डॉक्टर की परीक्षण करवाई है जिसने यह कहा कि इन बीमारियों के संबंध में उसने प्रतिवादी की जांच की थी। किसी भी चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, हमारा सुविचारित मत है कि निचली अदालत ने याचिकाकर्त्ता के खिलाफ वाद–पदों पर सही फैसला किया है और तलाक के डिक्री के लिए मुकदमा खारिज कर दिया है। हम निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, जो आक्षेपित है, में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

9. इस अपील में कोई मेरिट नहीं है और तद्नुसार, इसे ग्रहण (एडमिशन) स्तर पर हीं खारिज कर दिया जाता है।

(एच0 सी0 मिश्रा न्याया0)

(डॉ0 एस0 एन0 पाठक, न्याया0)